<u>अति-महत्वपूर्ण</u>

(संसदीय राजभाषा समिति मामला)

सं. रा.भा.5(14)/आश्वासन-अनु.कार्र./2014/78
संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन,
राजभाषा विभाग,
समाहर्तालय,
दीव.

दिनांक :- 14 /07/2014.

प रि प त्र / CIRCULAR

विषय : <u>विज्ञापनों को द्विभाषी में जारी करना एवं हिन्दी के विज्ञापनों पर न्यूनतम 50% राशि खर्च करना.</u>

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति को दिये गए आश्वासन के आलोक में दीव जिला स्थित संघ प्रदेश प्रशासन के सभी कार्यालयों के प्रमुखों को मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि कार्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले सभी विज्ञापन अनिवार्य रूप से द्विभाषी में जारी किये जाएंगे । साथ-ही-साथ विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का कम-से-कम 50 प्रतिशत हिस्सा हिन्दी में जारी विज्ञापनों पर खर्च किया जाएगा ।

अतः इस संबंध में आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने-अपने कार्यालयों में उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजें ।

14/07/2014
(डॉ. अनिल कौशिक)
सहायक निदेशक (रा.भा.)/
सदस्य सचिव, रा.का.स., दीव.

सेवा में,

सभी कार्यालय प्रमुख,
संघ प्रदेश प्रशासन,
दीव.

<u>प्रतिलिपि प्रेषित :-</u>

1. माननीय प्रशासक के स्टाफ अधिकारी, सचिवालय, दमण.
2. सचिव (राजभाषा), दमण एवं दीव, दमण.
3. समाहर्ता एवं जिलाधीश/अध्यक्ष, रा.का.स., दीव.
4. निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
5. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, नवी मुम्बई.
6. सहायक निदेशक (रा.भा.) (मुख्यालय), राजभाषा विभाग, दमण.
7. जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, दीव (वेबसाइट पर प्रकाशित के लिए अनुरोध सहित).